संख्या-245/2026/635के-2/22-3-2025-17(120)/24

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2026**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर पुत्र श्री उदयवीर सिंह, निवासी जनपद-हाथरस हाल जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेन्स के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-26338/प्रो0अनु0(7)-09/2025/(बैठक दिनांक 13.06.2025), दिनांक 30.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर (बंदी संख्या-17341) पुत्र श्री उदयवीर सिंह, जो गिजरौली, थाना-कोतवाली, जनपद-हाथरस हाल पता-चरन सिंह का मकान, गोपाल खार, परिक्रमा मार्ग, थाना-वृन्दावन, जनपद-मथुरा का रहने वाला है। बंदी ने विरमा देवी की नाबालिक बेटी संदीपनी को गौधूलिपुरम के खाली मकान में ले जाकर बलात्कार किया। जब वादिया वहां पहुँची, तो अभियुक्त वहां से भाग गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कक्ष संख्या-8, मथुरा के आदेश दिनांक 20-08-2018 द्वारा सत्र परीक्षण सं0-5/14 में धारा-376(2) भा0द0वि0 व धारा-4 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 15 वर्ष की कठोर कारावास एवं धारा-3(1)(xii) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 07-10-2023 तक बन्दी की आयु लगभग 36 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 05 वर्ष, 06 माह, 04 दिन की अपरिहार व 06 वर्ष, 11 माह, 02 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा किया गया कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, बंदी के रिहा होने के उपरान्त भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी की आयु के दृष्टिगत रिहा होने के उपरान्त किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी का परिवार समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा द्वारा कारित अपराध के दृष्टिगत उक्त अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर पुत्र श्री उदयवीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर पुत्र श्री उदयवीर सिंह, निवासी जनपद-हाथरस हाल जनपद-मथुरा के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-635(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-245/2026/635के-2/22-3-2025-17(120)/24

दिनांक 20 जुलाई, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सीमित सजावधि से दण्डित सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर (बंदी संख्या-17341) पुत्र श्री उदयवीर सिंह, जो गिजरौली, थाना-कोतवाली, जनपद-हाथरस हाल पता-चरन सिंह का मकान, गोपाल खार, परिक्रमा मार्ग, थाना-वृन्दावन, जनपद-मथुरा का रहने वाला है। बंदी ने विरमा देवी की नाबालिक बेटी संदीपनी को गौधूलिपुरम के खाली मकान में ले जाकर बलात्कार किया। जब वादिया वहां पहुँची, तो अभियुक्त वहां से भाग गया। उक्त अपराध हेतु बंदी को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कक्ष संख्या-8, मथुरा के आदेश दिनांक 20-08-2018 द्वारा सत्र परीक्षण सं0-5/14 में धारा-376(2) भा0द0वि0 व धारा-4 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 15 वर्ष की कठोर कारावास एवं धारा-3(1)(xii) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 07-10-2023 तक बन्दी की आयु लगभग 36 वर्ष है तथा बंदी द्वारा 05 वर्ष, 06 माह, 04 दिन की अपरिहार व 06 वर्ष, 11 माह, 02 दिन सपरिहार की सजा भोगी गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा किया गया कृत्य जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, बंदी के रिहा होने के उपरान्त भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी की आयु के दृष्टिगत रिहा होने के उपरान्त किसी भी अप्रिय घटना घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी का परिवार समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा द्वारा कारित अपराध के दृष्टिगत उक्त अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुन: अपराध करने की पूर्ण संभावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी ज्ञानवीर पुत्र श्री उदयवीर सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in